दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 25 दिसम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 87

महत्वपूर्ण एवं खास

भारत और सऊदी अरब के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर हुआ समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षथा में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सऊदी अरब के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के बीच 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में हस्ताक्षर किए गए थे।

नाविक प्रमाण पत्रों को मान्यता देने भारत और स्वीडन के बीच हुआ समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, वॉच कीपिंग के मानकों-1978 पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के विनियमन 1/10 के अनुपालन में भारत और स्वीडन में नाविकों के प्रमाण पत्र को मान्यता देने के अनुबंध पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। यह अनुबंध दोनों देशों की सरकारों द्वारा नाविकों के लिए जारी समुद्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण, दक्षता प्रमाण पत्रों, पृष्ठांकनों, प्रशिक्षण और दस्तावेजी साक्ष्यों तथा मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्रों को मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और प्रबंधन में दोनों देशों के बीच एसटीसीडब्ल्यू समझौते के विनियमन 1/10 के प्रावधानों और सहयोग के अनुसार होगा। इस अनुबंध से दोनों देशों को लाभ होगा, क्योंकि स्वीडन जहाज स्वामित्व वाला देश है, जबकि भारत नाविक आपूर्ति करने वाला राष्ट्र है।

भारत और बांग्लादेश के बीच युवा मामलों में सहयोग पर हुआ समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और बंगलादेश के बीच युवा मामलों में सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 5 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। भारत और बंगलादेश के बीच युवा मामलों के क्षेत्र में कार्यक्रमों के आदान-प्रदान से युवाओं में विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। इससे युवाओं में अतंर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने और युवा मामलों के क्षेत्र में उनके ज्ञान तथा विशेषज्ञता का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटने भारत और उज्बेकिस्तान में हुआ समझौता

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के क्षेत्र में भारत के गृह मंत्रालय और उज्बेकिस्तान गणराज्य के अतंर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्रालय के बीच हुए अनुबंध को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। इस अनुबंध पर केन्द्रीय गृह मंत्री और उज्बेकिस्तान गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री ने 20 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए थे। इस अनुबंध का उद्देश्य आतंकवाद और इसके वित्त पोषण, संगठित अपराध से संबंधित अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम और दमन करना है। इसके अलावा घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुसार दोनों देशों की खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के ढांचे को स्थापित करना तथा प्रभावशीलता में सुधार लाना भी है।

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के रूपांतरकारी संगठनात्मक पुनर्गठन को दी मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के रूपांतरकारी संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक सुधार भारतीय रेलवे को भारत की 'विकास यात्रा' का विकास इंजन बनाने संबंधी सरकार के विजन को साकार करने में काफी मददगार साबित होगा।

रेलवे ने अगले 12 वर्षों के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से आधुनिकीकरण के साथ-साथ यात्रियों को उच्च मानकों वाली सुरक्षा, गति एवं सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है। इसके लिए तेज गति एवं व्यापक स्तर से युक्त एक एकीकृत एवं चुस्त-दुरुस्त संगठन की आवश्यकता है, ताकि वह इस जिम्मेदारी को पूरी एकाग्रता के साथ पूरा कर सके और इसके साथ ही वह विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सके। आज के ये सुधार दरअसल वर्तमान सरकार के अधीन पहले लागू किए जा चुके उन विभिन्न सुधारों की श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं जिसमें रेल बजट का विलय केन्द्रीय बजट में करना, महाप्रबंधकों (जीएम) एवं क्षेत्रीय अधिकारियों (फील्ड ऑफिसर) को सशक्त बनाने के लिए उन्हें अधिकार सौंपना, प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों को रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देना इत्यादि शामिल हैं।

अगले स्तर की चुनौतियों से निपटने और विभिन्न मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विश्व भर की रेल प्रणालियों, जिनका निगमीकरण हो चुका है, के विपरीत भारतीय रेलवे का प्रबंधन सीधे तौर पर सरकार द्वारा किया जाता है। इसे विभिन्न विभागों जैसे कि यातायात, सिविल, यांत्रिक, विद्युतीय, सिग्नल एवं दूरसंचार, स्टोर, कार्मिक, लेखा इत्यादि में संगठित किया जाता है। इन विभागों को ऊपर से लेकर नीचे की ओर पृथक किया जाता है और इनकी अध्यक्षता रेलवे बोर्ड में सचिव स्तर के अधिकारी (सदस्य) द्वारा की जाती है। विभाग का यह गठन ऊपर से लेकर नीचे की ओर जाते हुए रेलवे के जमीनी स्तर तक सुनिश्चित किया जाता है। सेवाओं के एकीकरण से यह 'नौकरशाही' खत्म हो जाएगी, रेलवे के सुव्यवस्थित कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, निर्णय लेने में तेजी आएगी, संगठन के लिए एक सुसंगत विजन सृजित होगा और तर्कसंगत निर्णय लेने को प्रोत्साहन मिलेगा।

रेलवे में सुधार के लिए गठित विभिन्न समितियों ने सेवाओं के एकीकरण की सिफारिश की है जिनमें प्रकाश टंडन समिति (1994), राकेश मोहन समिति (2001), सैम पित्रोदा समिति (2012) और बिबेक देबरॉय समिति (2015) शामिल हैं।

7 एवं 8 दिसम्बर, 2019 को दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'परिवर्तन संगोष्ठी' में रेल अधिकारियों की आम सहमति और व्यापक समर्थन से यह सुधार किया गया है। इस भावना की कद्र करने और रेल अधिकारियों के सुझावों को अहमियत दिए जाने को लेकर उनमें व्यापक भरोसा उत्पन्न करने के लिए रेलवे बोर्ड ने 8 दिसम्बर, 2019 को ही सम्मेलन के दौरान बोर्ड की असाधारण बैठक आयोजित की थी और उपर्युक्त सुधारों सहित अनेक सुधारों की अनुशंसा की थी।

अब आगामी भर्ती चक्र या प्रक्रिया से एक एकीकृत समूह 'ए' सेवा को सृजित करने का प्रस्ताव किया जाता है जो 'भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) कहलाएगी। अगले भर्ती वर्ष में भर्तियों में सुविधा के लिए डीओपीटी और यूपीएससी से परामर्श कर नई सेवा के सृजन का काम पूरा किया जाएगा। इससे रेलवे अपनी जरूरत के अनुसार अभियंताओं/गैर-अभियंताओं की भर्ती करने और इसके साथ ही करियर में उन्नति के लिए इन दोनों ही श्रेणियों को अवसरों में समानता की पेशकश करने में सक्षम हो जाएगी। रेल मंत्रालय निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट द्वारा गठित की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था की मंजूरी से डीओपीटी के साथ परामर्श कर सेवाओं के एकीकरण की रूपरेखा तय करेगा। यह प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी हो जाएगी।

भर्ती किए जाने वाले नए अधिकारी आवश्यकतानुसार अभियांत्रिकी एवं गैर-अभियांत्रिकी क्षेत्रों से आएंगे और उनके कौशल एवं विशेषज्ञता के अनुसार उनकी तैनाती की जाएगी, ताकि वे किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकें, एक समग्र परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकें और इसके साथ ही वरिष्ठ स्तरों पर सामान्य प्रबंधन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार हो सकें। सामान्य प्रबंधन पदों के लिए चयन योग्यता आधारित प्रणाली के जरिए किया जाएगा।

मंडी हाउस में धारा 144 लागू, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया अलर्ट

» सीएए प्रदर्शन

नईदिल्ली (आरएनएस)। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मंडी हाउस पर मंगलवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में धारा 144 लनागू कर दी गई है. वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है. इसी के साथ ही प्रदर्शनकारी भी इलाके में जुटने शुरू हो गए हैं. दूसरी तरफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अब विरोध प्रदर्शन को देखते हुए संसद मार्ग को बंद कर दिया है और उसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की हैं कि संसद मार्ग को बंद कर दिया गया है इसलिए उस रास्ते का उपयोग न करें.

वहीं प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में वे मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल मार्च करेंगे. इसके बाद इलाके में धारा 144 लगाई गई और किसी भी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है.

20 दिसंबर को दिल्ली के दरियागंज/दिल्ली गेट इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आगजनी और पथराव की घटना हुई थी. प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी में आग लगा दिया था. उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिसबल को पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है.

भारत की जनगणना-2021 की प्रक्रिया आरंभ करने मिली मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना -2021 की प्रक्रिया शुरु करने तथा तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने की मंजूरी दे दी है। जनगणना प्रक्रिया पर 8754.23 करोड़ रूपए तथा एनपीआर के अध्ययतन पर 3941.35 करोड़ रूपए का खर्च आएगा।

देश की पूरी आबादी जनगणना प्रक्रिया के दायरे में आएगी जबकि एनपीआर के अद्यतन में असम को छोड़कर देश की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा। भारत की जनसंख्या गणना प्रक्रिया दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या गणना प्रक्रिया है। देश में जनगणना का काम हर दस साल बाद होता है। ऐसे में अगली जनसंख्या गणना 2021 में होनी है। जनसंख्या गणना का यह काम दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत अप्रैल-सितंबर 2020 तक प्रत्येक घर और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी। असम को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में एनपीआर रजिस्टर के अद्यतन का काम भी इसके साथ किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरी जनसंख्या की गणना का काम होगा।

राष्ट्रीय महत्व के इस बड़े काम को पूरा करने के लिए 30 लाख कर्मियों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा। जनगणना 2011 के दौरान ऐसी कर्मियों की संख्या 28 लाख थी।

डेटा संकलन के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केन्द्रीय पोर्टल का इस्तेमाल जनसंख्या गणना का काम गुणवत्ता के साथ जल्दी पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

एक बटन दबाते ही डेटा प्रेषण का काम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा और साथ ही यह इस्तेमाल में भी आसान होगा ताकि नीति निर्धारण के लिए तय मानकों के अनुरूप सभी जरूरी जानकारियां तुरंत उपलब्ध करायी जा सकें।

मंत्रालयों के अनुरोध पर जनसंख्या से जुड़ी जानकारियां उन्हें सही, मशीन में पढ़े जाने लायक और कार्रवाई योग्य प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

एकीकृत वित्त किसी भी मंत्रालय की नींव होती है: राजनाथ

» एकीकृत वित्त सलाहकारों की कार्यशाला

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत वित्त को किसी भी मंत्रालय/विभाग की नींव बताते हुए कहा है कि वांछित उद्देश्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोई मंत्रालय/विभाग, परिचालन आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना अपने बजटीय संसाधनों के हिसाब से प्रबंधन करने में सक्षम हो।

आज यहां एकीकृत वित्तीय सलाहकारों (आईएफए) की कार्यशाला को संबोधित करते हुए सिंह ने किसी भी चुनौती से निबटने के लिए तैयार रहते हुए पूरी तत्परता और तालमेल के साथ सेना के तीनों अंगो और आयुध कारखानों, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सड़क संगठन और डीआरडीओ जैसे संबद्ध संगठनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग तथा रक्षा लेखा महानियंत्रक की सरहाना की।

रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से रक्षा मंत्रालय आवंटित निधि का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकने के पुराने चलन को छोड़ते हुए निधियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा उसे मिली ज्यादा वित्तीय शक्तियों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को पूंजी और राजस्व जुटाने के अधिकार दिए गए हैं ताकि सशस्त्र सेनाएं अपनी जरूरत के हिसाब से 300-500 करोड़ रूपए तक की खरीद कर सकें। सिंह ने कहा कि परिचालन संबधि तत्काल जरुरतों को देखते हुए सशस्त्र सेनाओं को आपात अधिकार भी दिए गए हैं। इससे सेनाओं की परिचालन क्षमता में इजाफा हुआ है।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं न केवल सरकार की नीतियों और कार्यप्रणालियों की समीक्षा में बड़ी भूमिका निभाती हैं, बल्कि भविष्य की नितियां तय करने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन इस बात का भरोसा बनाते है कि हम अपने वित्तीय मामलों के प्रति कितने ज्यादा जवाबदेह है। इस तरह की जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धता हमारे शासन जवाबदेह तथा देश को वित्तीय रूप से ज्यादा स्वालंबी बनाते है। सिंह ने कहा कि न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन (दृष्टिकोण) के तहत, सरकार के कार्यो को ज्यादा प्रभावी एवं दक्ष बनाया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के लिए प्रदर्शन मानक तय किए जा रहे हैं।

'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' और डैशबोर्ड 30 को होगा लॉन्च

नईदिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग 30 दिसम्बर को नई दिल्ली में एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) इंडिया इंडेक्स का दूसरा संस्करण लॉन्च करेगा जिसमें 2030 एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अब तक की गई प्रगति का विवरण दिया गया है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2019-20 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र (भारत) और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार इस इंडेक्स को सदस्य डॉ. रमेश चंद, डॉ. वी. के. पॉल एवं डॉ. वी. के. सारस्वत, सीईओ अमिताभ कांत और संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक रेनाटा लोकङ्कडेसालियन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय में सचिव व भारत के मुख्य सांख्यिकीविद प्रवीण श्रीवास्तव और नीति आयोग की सलाहकार (एसडीजी) संयुक्ता समद्दर की उपस्थिति में लॉन्च करेंगे।

नीति आयोग को राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर देश में एसडीजी को अपनाने पर करीबी नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के प्रथम संस्करण को दिसम्बर, 2018 में लॉन्च किया गया था और यह उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रगति पर नजर रखने के लिए किसी भी बड़े देश द्वारा विकसित किया गया प्रथम साधन या टूल था।

अब नरेला में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग

» बुझाने पहुंची दमकल की 22 गाड़ियां

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली में अग्निकांड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। गत दिवस पहले अनाज मंडी व किराड़ी में हुए अग्निकांड के बाद अब नरेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 2 फैक्ट्रियों में मंगलवार तड़के आग लग गई। एक फैक्ट्री में आग की लपटों में घिर गई है जबकि दूसरे पर अग्निशमन अभियान चल रहा है। अग्निकांड की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है।

जानकारी के मुताबिक, फैक्ट्री बंद होने के कारण उसके अंदर कोई नहीं था। हालांकि, आग पर काबू पाने के दौरान फायर ब्रिगेड के तीन कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। हालांकि, इस दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें दमकल कर्मी घायल हो गए।

इससे पहले रविवार रात को दिल्ली के किराड़ी में एक कपड़े के गोदाम में आग लगने की घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, गोदाम तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर था। इमारत में कोई अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं था। डीएफएस ने कहा कि 10 लोगों को बचाया गया और मृतकों में दो वरिष्ठ नागरिक और चार बच्चे शामिल थे। आग लगने के कारण की जांच चल रही है।

'दिवाला एवं दिवालियापन संहिता संशोधन को मिली मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस संशोधन से दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 की विशेष खामियां दूर हो जाएंगी और संहिता का सुव्यवस्थित कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

संशोधनों के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए किसी अपराध के लिए कॉरपोरेट कर्जदार की देनदारी नहीं रह जाएगी और अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने की तिथि से ही इस तरह के अपराध के लिए कॉरपोरेट कर्जदार पर मुकादमा नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते कि समाधान योजना के परिणामस्वरूप संबंधित कॉरपोरेट कर्जदार का नियंत्रण या प्रबंधन एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में चला जाता है जो न तो प्रमोटर था या प्रबंधन में था अथवा कॉरपोरेट कर्जदार के नियंत्रण में था अथवा इस तरह के व्यक्ति से किसी भी तरह संबंधित था। और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में अपने पास उपलब्ध किसी सामग्री के आधार पर संबंधित जांच प्राधिकरण का यह मानना है कि उसने अपराध करने के लिए या तो उकसाया था या साजिश रची थी और उसने संबंधित वैधानिक प्राधिकरण या अदालत में कोई रिपोर्ट पेश की है अथवा कोई शिकायत दर्ज कराई है।

संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट कर्जदार आवश्यकता पड़ने पर किसी भी ऐसे प्राधिकरण को सभी तरह की सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा जो कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए किसी अपराध की जांच-पड़ताल कर रहा है।